डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(पशुपालन प्रभाग)
बिहार, पटना

लू (Heat Wave)से पशुओं के बचाव हेतु कार्य योजना

बिहार में भीषण गर्मी/लू की लहरों की घटना मात्र एक मौसम संबंधी घटना नहीं है, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दा भी है। राज्य में गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी के साथ लू (Heat Wave) पशुओं के जन–जीवन प्रभावित होते हैं। भीषण गर्मी/लू की स्थिति में तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। सामान्यतः माह अप्रैल से जुलाई के बीच भीषण गर्मी की व्यापकता, तीक्ष्णता प्रचंड धूप एवं भयावह गर्म हवायें चलती है। जिससे सामाजिक–आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अप्रैल से जुलाई के ग्रीष्मकालीन महीनों के दौरान मृत्यु की घटनाऐं अधिक बढ़ जाती हैं। जिससे राज्य के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।

कार्य योजना

लू/गर्म हवायें से पशुधन के प्रभावित होने एवं उनकी क्षति की भी संभावना बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में पशुओं में Dry nose, Weakness, Salivation, Muscle tremors, Hyperthermia, Loss of Appetite, Rapid Panting, With tongueout एवं Decrease in Milk Production की समस्या देखी जाती है। लू/गर्म हवायें में पशुओं में होने वाली परेशानियाँ/बीमारियों से बचाव हेतु ठोस रणनीति के तहत रोग निरोधक उपाय किया जाना, प्राथमिक उपचार एवं पशुचिकित्सा की समुचित व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है।

लू/गर्म हवायें की स्थिति में पशुओं को छाया/हवादार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों से भरपुर चारा दाना भी आवश्यक है। नवजात, बीमार, दुग्धकारी एवं कमजोर पशुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। साथ ही लू/गर्म हवायें से पशुओं में होने वाली परेशानियों से बचाव एवं आवश्यक उपाय हेतु पशुपालकों को पूर्व से ही अवगत कराया जाना आवश्यक है।

लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार का यह दायित्व है कि लू/गर्म हवायें से प्रभावित होने वाले गरीब/संसाधन विहिन पशुपालकों के बचाव हेतु समुचित प्रबंधन किया जाय।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये Heat Wave Action Plan के आलोक में Vulnerability Indexes Indicate के अनुसार 13 जिले उच्च और/या मध्यम Indexes वाले तथा 12 जिले निम्न Indexes वाले हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

- निम्न Indexes स्तरः वाले जिले गोपालगंज, रोहतास, सिवान, मुंगेर, मधुबनी, बक्सर, औरंगाबाद भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, आदि हैं। इस श्रेणी में वर्गीकृत हैं।
- मध्यम Indexes स्तरः वाले जिले समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगुसराय, नवादा, नालंदा, कैमूर (भभुआ), अरवल इसी श्रेणी में आते हैं।
- उच्च Indexes स्तरः वाले जिले शेखपुरा, लखीसराय, सहरसा, खगड़िया, जमुई, सुपौल, पूर्णियाँ, सीतामढी, मधेपुरा, कटिहार, गया, बांका, अररिया इसी श्रेणी में आते हैं।

गरीब/संसाधनविहीन पशुपालकों के लिए भीषण गर्मी/लू से पशुओं के सुरक्षा के लिए निम्नांकित व्यवस्था कराया जाय :–

i. **पशुओं के लिए शरण स्थल का व्यवस्था :–** सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधा युक्त स्थानों पर गढ्ढा खुदवाकर पानी इक्कठा किया जाय ताकि पशु/पक्षियों को पानी की व्यवस्था हो सके।

ii. **जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित करने :–** सभी जिलों में प्रखण्ड/जिला स्तर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे। पशुओं बीमार पड़ने पर चिकित्सा दल का व्यवस्था करेंगे।

iii. **पेय जल की व्यवस्था :–** पशुओं पेय जल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा निर्मित कैटल ट्रफ की नियमित अनुरक्षण भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के समन्वय से संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से व्यवस्था की जायेगी।

iv. **चिकित्सा की व्यवस्था :–** ग्रीष्णकाल में पशुओं में होन वाले बीमारियों से बचाव हेतु ठोस रणनीति के तहत रोग निरोधक उपाय यथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के तहत बीमार होने पर नजदीकी पशु चिकित्सक,

पारा वेट, एम0भी0यू0 (Mobile Veterinary Unit) के द्वारा प्राथमिक उपचार किया जायेगा तथा दवा की समुचित व्यवस्था संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी।

v. **प्रचार प्रसार** :– भीषण गर्मी/लू से बचाव हेतु जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाय एवं लू के दौरान "क्या करें क्या न करें" का प्रचार प्रसार कराया जाय।

2. **निरीक्षण एवं अनुश्रवण** :– विभागीय स्तर पर पशुओं के पेय जल की व्यवस्था हेतु निर्मित कैटल ट्रफ के नियमित अनुरक्षण एवं सभी कैटल ट्रफ की कार्य स्थिति का भौतिक सत्यापन संबंधित निर्गत आदेश के आलोक में अपने–अपने जिला अंतर्गत स्थापित कैटल ट्रफ का स्वयं स्थल निरीक्षण कर फोटो के साथ प्रतिवेदन मासिक प्रतिवेदन जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
सचिव,
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026
प्रतिलिपि :– सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026
प्रतिलिपि :– सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधान विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026
प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026
प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 01/2026 1154 (नि0) पटना–15, दिनांक –16/03/2026

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी (आपदा), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशालय में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारी एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।